झारखंड उच्च न्यायालय,राँची

सी एम पी संख्या 868/2019

1. किशोरी लाल पासवान (दुशाध) उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता- स्व रीतलाल दुशाध,

2. लखपति देवी, उम्र लगभग 64 वर्ष, पति- बसंत पासवान

दोनों शास्त्री नगर , ईस्ट नियर लाइन, पीओ-धनबाद, पीएस-बैंक मोर, जिला-धनबाद के निवासी हैं।

... याचिकाकर्ता

वनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ,अपने अध्यक्ष के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, G5 और 6 अनुभाग-10, डाकघर और थाना -द्वारका, जिला-नई दिल्ली-110075 में अपना कार्यालय।

2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी आई वी दुर्गापुर , एन एच ए आई कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 2 ए, बिधान नगर, दुर्गापुर, पी ओ और पी एस-बिधान नगर, जिला-बर्दवान (डब्ल्यू बी)।

3. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, परियोजना भवन, पीओ और पीएस-धुर्वा, जिला रांची-826001 में अपना कार्यालय ।

5. उपायुक्त, धनबाद, कार्यालय धनबाद, पीओ और पी एस-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड-826001 ।

6. अपर समाहर्ता सह एन एच ए आई अधिनियम, 1956 तहत सक्षम प्राधिकारी , धनबाद, पीओ और पीएस-धनबाद, जिला-धनबाद-826001 ।

5. अंचल अधिकारी, धनबाद, पीओ और पीएस-धनबाद, जिला-धनबाद-826001

7. जिला भू अर्जन पदाधिकारी , पीओ और पीएस और जिला-धनबाद-826001।

…… विपक्षी पार्टियां।

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ताओं के लिए..- श्री सुनील सिंह

विपक्षी पक्ष एनएचएआई के लिए : श्री.अमृत राज किस्कू, अधिवक्ता,

विपक्षी पक्ष-राज्य- एस सी के एसी (एल एंड सी)-

04./दिनांक 22 जनवरी, 2021

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई है।

यह दिवानी विविध याचिका के WP (C) नंबर 4299/ 2018 की बहाली के लिए दायर की गई है जो 11.09.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि WP (C) No. 4299/ 2018 की रिट याचिका को 11.09.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया है।

विपरीत पक्षों के विद्वत अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि रिट याचिका को इसकी मूल फ़ाइल में बहाल किया जा सकता है ताकि मामले की सुनवाई और योग्यता पर निर्णय लिया जा सके।

इस न्यायालय ने पक्षकारों के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुनने और उनकी ओर से प्रस्तुत निवेदन पर विचार करने के बाद, WP (C) No. 4299/ 2018 की रिट याचिका को अपनी मूल फ़ाइल में बहाल करने के लिए इसे उचित माना।

इसके मद्देनजर, WP (C) No. 4299/ 2018 की रिट याचिका को इसकी मूल फ़ाइल में बहाल कर दिया गया है।

परिणाम में, इस दिवानी विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

सौरभ